



समक्ष—न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर
“सागर केम्प” सागर (म.प्र.)

रा.पु.क्र.
पे.ता.

R - 3864 - I/16

27 OCT 2014

खरगराम तनय कन्छेदी तिवारी निवासी सेमरा लोधी
तह.पथरिया जिला दमोह म.प्र. पुनरीक्षणकर्ता
बनाम

1. दुर्गावाई पति शिवप्रसाद उपाध्याय निवासी वार्ड नं. 15 मण्डी रोड पथरिया जिला दमोह म.प्र
2. कन्हैयालाल तनय खरगराम तिवारी
3. दीपक तनय खरगराम तिवारी दोनों निवासी सेमरालोधी तह. पथरिया जिला दमोह म.प्र.

प्रत्यार्थी / उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता

विरुद्ध अधिनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के राजस्व अपील क्र. 365अ/6 वर्ष 12-13 पक्षकार खरगराम बनाम दुर्गावाई +2 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 19/06/14 से अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता का स्थगन आवेदनपत्र खरिज कर देने से पीड़ित व दुखीत होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है।

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है—

- 156
38-10-14
1. यह कि अधिनस्थ राजस्व न्यायालय के विधवान राजस्व अधिकारी श्रीमान् न्यायालय आयुक्त सागर के प्रकरण में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19/06/14 विधि व प्रक्रिया की भूल कर के पारित हुआ है।
 2. यह कि अधिनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा पेश दो स्थगन आवेदन पत्र में से किस आवेदन पत्र के परिपेक्ष में आदेश पारित किया है यह आलोच्य आदेश से स्पष्ट नहीं है आलोच्य आदेश अस्पष्ट व संक्षिप्त है।
 3. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी ने अधिनस्थ राजस्व अधिकारी के समक्ष विचाराधीन द्वितीय अपील में अधिनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् एस.डी.ओ. महो. दमोह के राजस्व अपील क्र. 138अ/6 वर्ष 11-12 में पारित आदेश दिनांक 07/02/13 को चुनौती दी है जिससे प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 07/02/13 अंतिम नहीं हुआ है इसके बावजूद उत्तरवादी/प्रत्यार्थी क्र.1 द्वारा श्रीमान् तहसीलदार पथरिया के समक्ष उक्त तथ्यों को छिपाते हुए बंटवारा का आवेदन पत्र पेश कर दिया था इसी कारण पुनरीक्षणकर्ता/अपीलर्थी बंटवारा कार्यवाही पर स्थगन का आवेदन पत्र लगाया था जिसे औचित्यहीन मानकर निरस्त करने का आलोच्य आदेश न्यायोहित नहीं है।
- 17/11/14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3864 —एक / 14

जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-2-2015 सागर कैप	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 365/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-06-14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिससे परिवेदित होकर आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3-- अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण स्थगन की आवश्यकता नहीं होने से आवेदक स्थगन आवेदन पत्र खारिज किया है व प्रकरण पूर्ववत् नियत किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है।</p>	 <p>प्रशासकीय सदस्य</p>